an>

Title: Need to regularise the services of temporary employees of Central Cattle Breeding Farm and Department of Dairying and Fisheries, Andeshnagar in Lakhimpur Kheri district, Uttar Pradesh.

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) ः बहुत से श्रमिक, जो केन्द्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र एवं डेयरी व मछली पालन, अन्देश नगर जनपद लखीमपुर खीरी, उ.प्र. में सन् 1976 एवं 1989 से आज तक अस्थाई कामगार के रूप में कार्य कर रहे हैं, को प्रशासन की ओर से वैधानिक रूप से मिलने वाले वेतन के अलावा इनको प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे पी.एफ., ई.सी.एस. व अन्य लाभ इस संस्थान द्वारा पूर्णतया नहीं दिए जा रहे हैं। क्योंकि इस संस्थान द्वारा श्रमिकों को अस्थाई तौर पर रखकर 60 वर्ष पूरे होने के बाद एक माह पहले नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जा रहा है। जिसके कारण विवश होकर श्रमिकों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस संस्थान में स्थाई किए जाने हेतु अपना प्रत्यावेदन सामूहक रूप से प्रस्तुत किया। जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2013 द्वारा वरिष्ठता सूची तैयार कर एक वर्ष की नियमित अवधि में स्थाई रूप से नियुक्त किए जाने का निर्देश लागू किया था, लेकिन इस संस्थान द्वारा आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील/याचिका प्रस्तुत की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.08.2002 को संशोधित करके निर्देशित किया कि स्थान रिक्त होने पर प्रतिपादित नियमों के अनुसार नियुक्ति कर दी जाएगी। परंतु इस संस्थान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है।

मेरी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए इन सभी श्रमिकों की स्थाई नियुक्ति कर व प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं प्रदान करने की महान कृपा करें।